

सिड्डी जलाशय परियोजना(लिपरी नदी पर ग्राम कछारागांव के पास) तह. बहोरीबंद जिला कटनी म.प्र.
बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि प्रकरण.

प्रस्ताव की पंजीयन संख्या एवं दि.

(धुला कार्यालय द्वारा पूर्ण की जावे)

प्रपत्रा ए - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों के पूर्व अनुमोदन लेने हेतु

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण						
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण (अ) आवेदित वन भूमि के क्षेत्राफल की गणना का पूर्ण विवरण दिया जावे। यथा सड़क, नहर एवं लाईनों के प्रकरण में कक्ष वार लम्बाई एवं चौड़ाई के आधार पर गणना की जावे। सिंचाई तालाब/बांध के प्रकरणों में संरचनावार यथा बांध, वेस्ट वियर, खदान, भवन, पट्टुय मार्ग, डूब क्षेत्रा, नहर इत्यादि के लिये कक्षवार आवश्यक वन भूमि का विवरण दिया जावे। साथ ही सिंचाई परियोजना के विवरण में कुल जलाशय क्षेत्रा, कमाण्ड क्षेत्रा, कुल जलाशय स्तर, उच्च बाढ़ स्तर, न्यूनतम जलाशय क्षेत्रा, डूब क्षेत्रा एवं जलाग्रहण क्षेत्रा में सम्मिलित वन, राजस्व एवं निजी भूमियों का विवरण तथा पूर्ण जलाशय स्तर, उस से 2 मीटर एवं 4 मीटर नीचे के स्तरों में डूब क्षेत्रा में सम्मिलित वन भूमि का विवरण दिया जावे तथा कैचमेंट उपचार योजना संलग्न की जावे।	(i)					
		जिला कटनी की तहसील बहोरीबंद के अन्तर्गत सिंचाई परियोजना हेतु 15.50 हे. वन भूमि की आवश्यकता है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-					
		(अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि में :-					
		जिले का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्राफल हे. में
		कटनी	सामान्य वन मंडल कटनी	बहोरीबंद	कछारागांव	225	13.40 हे
		(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि में:-					
		जिले का नाम	वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्राफल हे. में
		कटनी	सामान्य वन मंडल कटनी	बहोरीबंद	कछारागांव	447 449	1.70 हे 0.40 कुल 2.10 हे.
		(स) अन्य भूमि में:-					
		(i) शासकीय गैर वन भूमि (राजस्व) 26.20 हे.					
		(ii) निजी भूमि- 27.98 हे.					
		आवेदित वनभूमि 15.50 हे. के विरुद्ध जिला कटनी तहसील बहोरीबंद के ग्राम पथराडी पिपरिया के अंतर्गत 15.50 हे. समतुल्य गैर वन भूमि सर्वे क्रमांक / खसरा क्रमांक में उपलब्ध करयी जावेगी। इस हेतु जिलाध्यक्ष के आदेश क्रमांक दिनांक की प्रति मय मानवित्रा के संलग्न है।					
		आवेदक विभाग, वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु, जो भी राशि तय होगी उसे भुगतान करने हेतु वचनबद्ध है। भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी द्वारा जो भी शर्तें एवं मुआवजा आदि निर्धारित की जावेगी, आवेदक विभाग उसे मान्य करने हेतु वचनबद्ध होगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है।)					
		इस बावत मुख्य सचिव म.प्र. शासन का प्रमाण पत्रा संलग्न है। (आवश्यक नहीं लघु सिंचाई योजना के कारण)					
		आवेदित क्षेत्रा का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण / निरीक्षण दिनांक को वन अधिकारियों के साथ किया गया था तथा आवेदित क्षेत्रा के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।					

प्रपत्रा 'ए' - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों के पूर्व अनुमोदन लेने हेतु

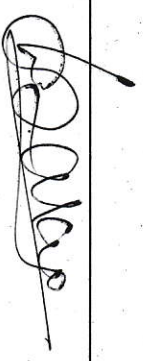
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण	(i)																														
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण (अ) आवेदित वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना का पूर्ण विवरण दिया जावे। यथा सड़क, नहर एवं लाईनों के प्रकरण में कक्ष वार लम्बाई एवं चौड़ाई के आधार पर गणना की जावे। सिंचाई तालाब/बांध के प्रकरणों में संरचनावार यथा बांध, वेस्ट वियर, खदान, भवन, पहुँच मार्ग, डूब क्षेत्रा, नहर इत्यादि के लिये कक्षवार आवश्यक वन भूमि का विवरण दिया जावे। साथ ही सिंचाई परियोजना के विवरण में कुल जलग्रहण क्षेत्रा, कमाण्ड क्षेत्रा, कुल जलाशय स्तर, उच्च बाढ़ स्तर, न्यूनतम जलाशय क्षेत्रा, डूब क्षेत्रा एवं जलग्रहण क्षेत्रा में सम्मिलित वन, राजस्व एवं निजी भूमियों का विवरण तथा पूर्ण जलाशय स्तर, उस से 2 मीटर एवं 4 मीटर नीचे के स्तरों में डूब क्षेत्रा में सम्मिलित वन भूमि का विवरण दिया जावे तथा कैचमेंट उपचार योजना संलग्न की जावे।	(i)																														
जिला कटनी की तहसील बहोरीबंद के अन्तर्गत सिंचाई परियोजना हेतु 15.50 हे. वन भूमि की आवश्यकता है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:- (अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि में :- <table border="1"> <tr> <th>जिले का नाम</th> <th>वनमंडल का नाम</th> <th>परिक्षेत्र का नाम</th> <th>संरक्षित वनखण्ड का नाम</th> <th>कक्ष क्रमांक</th> <th>आवेदित क्षेत्रफल हे. में</th> </tr> <tr> <td>कटनी</td> <td>सामान्य वन मंडल</td> <td>बहोरीबंद</td> <td>कछारागांव</td> <td>225</td> <td>13.40 हे</td> </tr> <tr> <td></td> <td>वन मंडल कटनी</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि में:- <table border="1"> <tr> <th>जिले का नाम</th> <th>वनमंडल का नाम</th> <th>तहसील का नाम</th> <th>ग्राम का नाम</th> <th>खसरा क्रमांक</th> <th>आवेदित क्षेत्रफल हे. में</th> </tr> <tr> <td>कटनी</td> <td>सामान्य वन मंडल कटनी</td> <td>बहोरीबंद</td> <td>कछारागांव</td> <td>447 449</td> <td>1.70 हे 0.40 कुल 2.10 हे.</td> </tr> </table> (स) अन्य भूमि में:- (i) शासकीय गैर वन भूमि (राजस्व) 26.20 हे. (ii) निजी भूमि- 27.98 हे. आवेदित वनभूमि 15.50 हे. के विरुद्ध जिला कटनी तहसील बहोरीबंद के ग्राम पथराडी पिपरिया के अंतर्गत 15.50 हे. समतुल्य गैर वन भूमि सर्वे क्रमांक / खसरा क्रमांक में उपलब्ध करायी जावेगी। इस हेतु जिलाध्यक्ष के आदेश क्रमांक दिनांक की प्रति मय मानचित्रा के संलग्न है। आवेदक विभाग, वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु, जो भी राशि तय होगी उसे भुगतान करने हेतु वचनबद्ध है। भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी द्वारा जो भी शर्तें एवं मुआवजा आदि निर्धारित की जावेगी, आवेदक विभाग उसे मान्य करने हेतु वचनबद्ध होगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है।) इस बावत मुख्य सचिव म.प्र. शासन का प्रमाण पत्रा संलग्न है। (आवश्यक नहीं लघु सिंचाई योजना के कारण) आवेदित क्षेत्रा का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण / निरीक्षण दिनांक को वन अधिकारियों के साथ किया गया था तथा आवेदित क्षेत्रा के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।			जिले का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल हे. में	कटनी	सामान्य वन मंडल	बहोरीबंद	कछारागांव	225	13.40 हे		वन मंडल कटनी					जिले का नाम	वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल हे. में	कटनी	सामान्य वन मंडल कटनी	बहोरीबंद	कछारागांव	447 449	1.70 हे 0.40 कुल 2.10 हे.
जिले का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल हे. में																											
कटनी	सामान्य वन मंडल	बहोरीबंद	कछारागांव	225	13.40 हे																											
	वन मंडल कटनी																															
जिले का नाम	वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल हे. में																											
कटनी	सामान्य वन मंडल कटनी	बहोरीबंद	कछारागांव	447 449	1.70 हे 0.40 कुल 2.10 हे.																											

(ii)	(ii)	वांछित मानचित्रा / वन मानचित्रा संलग्न है।
(iii)	(iii)	परियोजना पर 696.74 लाख रुपये की लागत आयेगी एवं इसकी स्वीकृति विभागाध्यक्ष के आदेश क्रमांक F/22/1/2012 दिनांक 24.4.12 द्वारा प्राप्त हुई है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
(iv)	(iv)	परियोजना संबंधी विस्तृत विवरण मय औचित्य के संलग्न है।
(v)	(v)	परियोजना के निर्माण से 9103.50 लाख रुपये का लाभ है एवं इस निर्माण पर 696.74 लाख रुपये की लागत आयेगी। दोनों का विश्लेषण करने पर परियोजना निर्माण लाभकारी है इस संबंध में विस्तृत लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।

अपक्ष	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। (किन ग्रामों में कितने व्यक्तियों को)	अपक्ष	3 ग्रामों के मानव दिवस 112421 प्रतिवर्ष
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण (ले-आउट प्लान संलग्न करें)		संलग्न है विपेज मेप व खसरा
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है?	निरंक	
पक्ष	परिवारों की संख्या	पक्ष	आवश्यक नहीं है।
पक्ष	अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की संख्या	पक्ष	आवश्यक नहीं है।
पक्ष	पुनर्वास योजना (संलग्न किया जावे)	पक्ष	आवश्यक नहीं है।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है?		आवश्यक नहीं है (लघु सिंचाई योजना होने से)
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/ या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)		वांछित वचन पत्रा संलग्न है।
6	संलग्न प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का ब्यौरा		संलग्न प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:- 1 प्रशा. स्वीकृति पत्र 2 वचन बद्धता पत्र 3 उचित विकल्प (3 विकल्प की तुलनात्मक टीप) 4 कास्ट बेनफिट रेशो प्रपत्र 5 अन्य प्रपत्र

तिथि :
स्थान:



हस्ताक्षर -
नाम साफ अक्षरों में -सी.डी.ठाकरे
पदनाम-कार्यपालन यंत्री
पता (प्रयोक्ता एजेंसी)
जल संसाधन सभाग कटनी जिला कटनी म.प्र.
दूरभाष क.-0762235469